

## 31/12/2014 की स्थिति में अचल सम्पत्ति का विवरण

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो —नीलेश कुमार सोनी, जिला उपमोक्ता फोरम, सागर (म0प्र0)
2. पिता/पति का नाम :- श्री रामलाल सोनी
3. वर्तमान वेतन —14180 + 3600 गेड पे + डी.ए. नियमानुसार
4. वर्तमान धारित पद — शीघ्रलेखक
5. वर्तमान पद का कुल वेतन—36805/- रुपये
4. अगली वेतनवृद्धि— 01 जुलाई 2015

उस जिले, संभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलायें कि किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, *** पट्टा, बंध, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से, अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो, उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि (आवासीय प्लॉट एवं कृषि भूमि)					
1	2	3	4	5	6	7	8
जिला—दमोह संभाग—सागर तहसील—दमोह ग्राम दमोह	गृह	—	6,47,000 /— रुपये लगभग	स्वयं के नाम पर	पैतृक संपत्ति बंटवारा के फलस्वरूप बिना प्रतिफल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा अपने पिता श्री रामलाल सोनी से दिनांक 23 दिसम्बर 2013 को अर्जित।	निरंक	
जिला—सागर संभाग—सागर तहसील—सागर ग्राम—बहेरिया गदगद	—	आवासीय प्लॉट	6,80,000 /— रुपये लगभग	स्वयं के नाम पर	रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 30 जून 2014 के द्वारा अर्जित	निरंक	


\* जहाँ लागू न हो काट दीजिये।

\*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जावे।

\*\*\*इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1956 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है, कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके नाम या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर



नाम— नीलेश कुमार सोनी

पद— शीघ्रलेखक